भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

मशीन सं. पीसी-IV/97/02/252/29

आर बी ई सं. 51/97
क्रम सं. 331

सं. पीसी-IV/86/डी ए/1

नई दिल्ली, दिनांक 08.4.97

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां आदि
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 1.1.1997 से लागू संशोधित दरें।

.....

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय का दिनांक 13.9.96 का पत्र देखें। राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मचारियों की पहली जनवरी 1997 से देय महंगाइ भत्ता निम्न प्रकार से संशोधित किया जाए :-

जिस तारीख से देय है	वेतन रेंज	प्रतिमाह देय महंगाई भत्ते की दर
1.1.97	3500/- रु. प्रतिमाह मूल वेतन	वेतन का 170%
	3500/- रु. प्रतिमाह से अधिक तथा 6000/- रु. प्रतिमाह तक मूल वेतन	वेतन का 128% किन्तु कम से कम 5950/- रु. प्रतिमाह
	6000/- रु. प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन	वेतन का 110% किन्तु कम से कम 7680/- रु. प्रतिमाह

2. समूह 'ख', 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 25.11.86 के तथा समूह 'क' के कर्मचारियों के संबंध में दिनांक 27.3.87 के समसंख्यक पत्र के पैरा 3 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान सभी रेल कर्मचारियों को नकद रूप से किया जाएगा।

..../-2

सं.पीसी-IV/86/डी ए/1 नई दिल्ली, दिनांक 08.4.97

प्रतिलिपि प्रेषित = (1) जनरल सेक्रेटरी (क) ए आई आर एफ, 4, स्टेट एंट्री रोड़, नई दिल्ली तथा (ख) एन एफ आई आर, 3, चेम्सफोई रोड़, नई दिल्ली, (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(2) राष्ट्रीय परिषद तथा विभागीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड